"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 94] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 मार्च 2006—चैत्र 7, शक 1928

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 28 मार्च, 2006

क्रमांक-5086/विधान/2006.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी विधेयक, 2006 (क्रमांक 7 सन् 2006), जो दिनांक 28 मार्च, 2006 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 7 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी विधेयक, 2006

विषय - सूची

अध्याय-1

प्रारम्भिक

खण्ड :

अध्याय–2

कृषक संगठन का गठन एवं कमाण्ड क्षेत्र का अंकन

अध्याय—3

कृषक संगठन का उद्देश्य, शक्तियां और कृत्य

अध्याय—4

संसाधन एवं निधियां

अध्याय–5

अपराध तथा शास्तियां

अध्याय–6

विवादों का निपटारा

अध्याय–7

प्रकीर्ण

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 7 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी विधेयक, 2006

सिंचाई प्रणाली प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी तथा उससे संबद्ध विषयों या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक :

भारत गणराज्य के सन्तावनवें वर्ष में राज्य विधान मंडल द्वारा (यह) निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय–1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 2006 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न–भिन्न क्षेत्रों और और भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) "अनुबंध" से अभिप्रेत है, सिंचाई प्रबंधन के समस्त पहलुओं, जिनमें वितरक प्रणाली का पुर्नवास, सिंचाई के लिए संघनित आधार पर जल का प्रदाय, तथा कार्यानयन, संधारण तथा संबंधित प्रयोजनों के लिए भौतिक प्रणाली का हस्तांतरण शामिल है, के लिये जल उपभोक्ता संथा एवं परियोजना समिति या नहर अधिकारी यथा स्थिति के मध्य अनुबंध ;

(ख) कृषकों के संगठन के संबंध में "कार्य क्षेत्र" से अभिप्रेत है, किसी सिंचाई प्रणाली के कमाण्ड क्षेत्र से लगा हुआ भू–खण्ड जैसा कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ;

(ग) "आयाकट सड़क" से अभिप्रेत है, सिंचाई और कृषि के प्रयोजन के लिए कृषकों के संगठन के कार्यक्षेत्र के भीतर की कोई सड़क, किन्तु इसमें किसी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर पालिका निगम या राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग में निहित कोई सड़क सम्मिलित नहीं है ;

(घ) "नहर अधिकारी" से अभिप्रेत है, जल संसाधन विभाग के निम्नलिखित अधिकारी अर्थात् :—

(एक) मुख्य अभियंता ;

(दो) अधीक्षण अभियंता ;

(तीन) कार्यपालन अभियंता ;

(चार) अनुविभागीय अधिकारी ;

(पांच) नहर डिप्टी कलेक्टर ; और

(छः) उप अभियंता ;

(ङ) "कमाण्ड क्षेत्र" से अभिप्रेत है, ऐसा क्षेत्र जो या तो गुरूत्वाकर्षण संबंधी बहाव द्वारा या उद्वहन सिंचाई द्वारा या किसी शासन या शासकीय सहायता प्राप्त स्त्रोत के किसी अन्य तरीके से सिंचित हो या सिंचित किये जाने योग्य हो, और उसमें ऐसा प्रत्येक क्षेत्र सम्मिलित है जो या तो "आयाकट" कहलाता हो या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अन्य नाम से जाना जाता हो ;

(च) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, धारा 29 के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारी ;

(छ) "वितरिका प्रणाली" से अभिप्रेत तथा इसमें सम्मिलित हैं, —

(एक) समस्त मुख्य नहरें, शाखा नहरें, वितरिकाएं और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति और वितरण के लिए सन्निर्मित लघु नहरें ;

(दो) सिंचाई के लिए जल के वितरण से संबंधित समस्त संकर्म, संरचना और साधित्र ; और

(तीन) समस्त खेत, जलसरणियां और अन्य

जलसरणियां तथा किसी पाइप निकास के अंतर्गत की संरचनाएं ;

(ज) "जल निकास प्रणाली" से अभिप्रेत तथा इसमें सम्मिलित हैं, —

(एक) अपशिष्ट या अतिरिक्त जल के निस्सारण के लिए जल सरणियां, चाहे वे प्राकृतिक हों या कृत्रिम हों और उससे संशक्त या आनुषांगिक समस्त संकर्म ;

(दो) किसी सिंचाई या वितरण से निरंतार जल-सरणियां और उससे संबंधित अन्य संकर्म किन्तु इसमें मैला हटाए जाने के लिए किए जाने वाले संकर्म सम्मिलित नहीं हैं ;

(तीन) समस्त संग्रहण नालियां, और मुख्य नालियां जो खेत नालियों से अतिरिक्त जल को बहाने के लिए हैं ; और

(चार) समस्त खेत नालियां और पाइप निकासी के भीतर संबद्ध संरचनाएं ;

(झ) "कृषकों का संगठन" जहां कहीं भी आया हो, का अर्थ होगा और उसमें सम्मिलित हैं, —

(एक) प्राथमिक स्तर पर, समस्त जल उपभोक्ताओं से मिलकर बनने वाला धारा (4) के अधीन यथा गठित जल उपभोक्ता संथा ;

(दो) द्वितीयक स्तर पर धारा (7) के अधीन यथा गठित वितरिका समिति ; और

(तीन) परियोजना स्तर पर धारा (10) के अधीन यथा गठित परियोजना समिति ;

(ञ) "सिंचाई प्रणाली प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी" से अभिप्रेत है, जल उपभोक्ताओं को, सिंचाई प्रणाली के समस्त पहलू जिसमें योजना, रूपांकन, कार्यान्वयन, संधारण, पुनर्वास, आधुनिकीकरण, प्रशासकीय अधिकार, विवादों का निपटारा, सिंचाई सेवा शुल्क/प्रभार का उद्ग्रहण तथा संग्रहण, अनुश्रवण, मूल्यांकन, बजट बनाना एवं वित्तीय प्रबंधन और सिंचाई व कृषि से संबंधित सेवाओं का उपबंध/समन्वय से संबद्ध करना ;

(ट) "खेत जलसरणी" से अभिप्रेत है, विद्यमान जल–सरणी या राज्य सरकार द्वारा भू–धारकों द्वारा या पाइप निकासी से जल प्राप्त करने और उसे वितरित करने वाले किसी अभिकरण द्वारा सन्निर्मित की जाने वाली जल–सरणी या सरकारी या निजी स्वामियों से संबंधित खेतों की सिंचाई के लिए निकलने वाला कोई जल मार्ग ;

(ठ) "खेत नाली" में सम्मिलित है, भूधृति से पाइप निकास के भीतर अपशिष्ट या अतिरिक्त जल के निस्तारण के लिए भू–धारक द्वारा या किसी अन्य अभिकरण द्वारा उत्खनित या अनुरक्षित कोई जल–सरणी और उसमें विद्यमान या सन्निर्मित की जाने वाली नालियां, विस्तार जल–सरणियां और ऐसे ही अन्य संकर्म सम्मिलित है ;

(ड) "वित्तीय अभिकरण" से अभिप्रेत है, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित या निगमित कोई व्यावसायिक बैंक या कोई सहकारी सोसाईटी या कोई अन्य बैंक या संगठन जो कृषकों के संगठन के कार्य क्षेत्र के विकास के लिए धन उधार देता हो ;

(ढ) जल उपभोक्ता संथा के संबंध में "सामान्य सभा" से अभिप्रेत है, उस संथा के सभी सदस्यगण ;

(ण) "जलीय आधार" से अभिप्रेत है एक या अधिक जलीय संरचनाओं जैसे हेड वर्क, वितरिकाएं, लघु नहरें, पाइप निकास और उसी प्रकार की जलीय संरचनाएं जो जीवनक्षम सिंचित क्षेत्र की पहचान करने के आधार हैं ;

(त) "सिंचाई प्रणाली" से अभिप्रेत है, सिंचाई तथा अन्य सरकारी संसाधनों से संबद्ध अन्य उपयोग के लिए जल नियंत्रित करने हेतु जो पंचायत के नियंत्रणाधीन हैं, उन्हें छोड़कर ऐसी वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई प्रणाली तथा उसके अंतर्गत जलाशय खुली मुख्य जलसरणी, उपयोजन प्रणाली, स्टाप डेम, बंध (एनिकेट), उद्वहन सिंचाई (लिफ्ट इरीगेशन स्कीम), तालाब, कुएं/ट्यूब वेल और वैसी ही सिंचाई प्रणाली के अन्य संसाधन जिससे 40 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र सिंचित हो तथा जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृत सामुदायिक भागीदारी से निर्मित स्त्रोत भी सम्मिलित हैं ;

स्पष्टीकरण : (एक) "वृहद सिंचाई प्रणाली" से अभिप्रेत है, सिंचाई परियोजना के अधीन 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचन योग्य कमाण्ड क्षेत्र वाली सिंचाई प्रणाली ;

(दो) "मध्यम सिंचाई प्रणाली" से अभिप्रेत है, सिंचाई परियोजना के अधीन 2,000 हेक्टेयर से अधिक और 10,000 हेक्टेयर तक

सिंचन योग्य कमाण्ड क्षेत्र वाली सिंचाई प्रणाली ;

(तीन) "लघु सिंचाई प्रणाली" से अभिप्रेत है, सिंचाई परियोजना के अधीन 40 हेक्टेयर से अधिक तथा 2,000 हेक्टेयर तक सिंचन योग्य कमाण्ड क्षेत्र वाली सिंचाई प्रणाली ;

(थ) "भू-धारी" से अभिप्रेत है, सिंचाई प्रणाली के अधिसूचित आयाकट क्षेत्र की भूमि के संबंध में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20, सन् 1959) के अधीन अधिकारों के अभिलेख में इस रूप में अभिलिखित कोई भूमि-स्वामी या कोई अभिधारी ;

(द) "उद्वहन सिंचाई" अथवा उद्वहन सिंचाई योजना" का उद्वहन सिंचाई जल उपभोक्ता संथा के संबंध में अभिप्रेत है, ऐसी सभी उद्वहन सिंचाई योजनायें जिनमें जल उद्वहन हेतु राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक है, किंतु निजी उद्वहन योजनायें या निजी कुएं अथवा नलकूप को छोड़कर ;

(ध) कृषकों द्वारा सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन के संबंध में "उद्वहन एवं ट्यूब वेल सिंचाई जल उपभोक्ता संथा" से अभिप्रेत है, एक संगठन जो कि इस अधिनियम की धारा 21 तथा 22 में विहित पद्धति से उद्वहन तथा ट्यूब वेल सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया हो ;

(न) "संधारण" से अभिप्रेत है, सिंचाई प्रणाली पर ऐसे संकर्मों का निष्पादन जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, कि स्तर के अनुसार तैयार की गई भौतिक प्रणाली, कार्यक्षेत्र में भू-धारियों को जल के समुचित वितरण के लिए चल रही है ;

(प) "प्रबंध समिति" से अभिप्रेत है, कृषकों के किसी संगठन की प्रबंध समिति ;

(फ) "सदस्य" से अभिप्रेत है किसी कृषक संगठन का सदस्य ;

(ब) "कार्य योजना" से अभिप्रेत है, किसी सिंचाई प्रणाली के कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई के विनियमन के लिए तैयार किये प्रदाय के तरीकों और प्रदाय की अवधि के ब्यौरे सहित सिंचाई के लिए वितरणों की अनुसूची ;

(भ) "विहित" से अभिप्रेत है, अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा विहित ;

(म) इस अधिनियम के संबंध में "प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र" से

अभिप्रेत है, जलीय आधार पर सीमांकित क्षेत्र और जहां तक संभव हो एक शामिलाती नहर से सिंचित क्षेत्र ;

(य) "वाराबंदी" से अभिप्रेत है, प्रदाय का दिन, अवधि और समय उपदर्शित करते हुए किसी अनुमोदित अनुसूची के अनुसार क्रम से जल उपभोक्ताओं को जल के आबंटन का वितरण करने की पद्धति ;

(र) "जल आवंटन" से अभिप्रेत है, कृषकों के किसी संगठन द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में समय-समय पर अवधारित जल का बंटवारा;

परंतु, परियोजना क्षेत्र स्तर पर जल आवंटन, कृषकों के संगठन तथा नहर अधिकारी संयुक्त रूप से अवधारित करेंगे ;

(ल) "जल उपभोक्ता" से अभिप्रेत है, और उसमें सम्मिलित है किसी सरकारी सिंचाई स्त्रोत से कृषि, घरेलू, गैर घरेलू, ऊर्जा, वाणिज्यिक, औद्योगिक या किसी अन्य प्रयोजन के लिए जल का उपयोग कर रहा कोई व्यक्ति या निगमित निकाय या कोई सोसाइटी।

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं, किंतु परिभाषित नहीं है, वे ही अर्थ होंगे जो छत्तीसगढ़ इरीगेशन एक्ट, 1931 (क्रमांक 3 सन् 1931) में उनके लिए दिए गए हैं।

अध्याय-2

कृषक संगठन का गठन एवं उनके कमाण्ड क्षेत्र का अंकन

जल के उपभोक्ता क्षेत्र का अंकन

3. (1) जिलाधीश अधिसूचना द्वारा और इस निमित्त इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार प्रत्येक सिंचाई प्रणाली के प्रस्तावित लाभान्वित कृषकों से विचार-विमर्श कर जलीय आधार पर प्रत्येक सिंचाई प्रणाली के अधीन प्रत्येक कमाण्ड क्षेत्र को अंकित कर सकेगा, जो प्रशासनिक रूप से जीवनक्षम हो, और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए जल उपभोक्ता क्षेत्र घोषित कर सकेगा :

परंतु, वृहद्, मध्यम एवं लघु सिंचाई प्रणाली में कोई भी जल उपभोक्ता क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक नहीं होगा ;

परंतु, लघु तथा उद्वहन सिंचाई प्रणाली में संपूर्ण कमाण्ड क्षेत्र यथासंभव एकल जल उपभोक्ता क्षेत्र में होगा ;

परंतु, लघु सिंचाई प्रणाली में जिनमें एक से अधिक सिंचाई योजनाएं भी सन्निहित हैं यथासंभव 200 हेक्टेयर अथवा अधिक क्षेत्र में एकल जल उपभोक्ता संथा हो सकती है ;

परंतु, एक या अधिक लघु सिंचाई योजनाओं जो कि एक-दूसरे से सन्निकट अथवा युक्तियुक्त दूरी पर स्थित हो, के लिये एकल जल उपभोक्ता संथा बनायी जा सकती है, चाहे इनका सम्मिलित कमाण्ड क्षेत्र 200 हेक्टेयर से कम हो।

(2) जिलाधीश ऊपर वर्णित उपधारा (1) के अंतर्गत सीमांकित जल उपभोक्ता क्षेत्र में उस योजना के प्रभारी नहर अधिकारी की अनुशंसा पर अधिसूचना द्वारा सुधार कर सकता है, किंतु ऐसे नहर अधिकारी की अनुशंसाएं प्रस्तावित लाभान्वित कृषकों से विचार-विमर्श के पश्चात् आधारित हों।

(3) प्रत्येक जल उपभोक्ता क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त किया जाएगा, जो लघु सिंचाई प्रणाली में दस और वृहद एवं मध्यम सिंचाई प्रणाली में बारह तक होंगे :

परंतु, ऐसे प्रकरणों में जहां कमाण्ड क्षेत्र 200 हेक्टेयर से कम हो, एक जल उपभोक्ता संथा बनाने हेतु दस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के गठन की तथा उद्वहन सिंचाई जल उपभोक्ता संथा के प्रकरण में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के गठन की आवश्यकता नहीं होगी।

जल उपभोक्ता संथा का गठन

4. (1) प्रत्येक जल उपभोक्ता संथा क्षेत्र के लिए धारा 3 के अधीन उस रूप में जो घोषित किया जाए, एक जल उपभोक्ता संथा होगी जो उसके स्थानीय सुभिन्न नाम से जानी जाएगी।

(2) प्रत्येक जल उपभोक्ता संथा में निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात् :-

(क) सभी जल उपभोक्ता जो जल के उपभोक्ता क्षेत्र के भू-स्वामी हों :

परन्तु, जहां कोई स्वामी और अभिधारी दोनों ही ऐसी भूमि के संबंध में भूमिधारक हैं वहां अभिधारी जल उपभोक्ता माने जाएंगे ;

परन्तु कोई व्यक्ति जो एक जल स्त्रोत के आधीन भूमि का वैधानिक कब्जादार तथा उपयोग करता है, उस फसल वर्ष में कब्जा एवं उपयोग का प्रमाण उपलब्ध होने पर वह सदस्यता का दावा कर सकेगा, भले

ही वह अभिलेखों में भू धारक हो या न हो, उस स्थिति में इस अधिनियम के उद्देश्य से, जल उपभोक्ता संथा उसे सदस्यता हेतु इंकार नहीं करेगी, और ऐसा व्यक्ति जल उपभोक्ता के सामान ही, जल प्रभार एवं शुल्क के भुगतान हेतु ज़िम्मेदार होगा ;

परंतु, ऐसे भू–धारक की पत्नी/पत्नियाँ जो भू–धारक नहीं हैं तो भी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भू–धारक मानी जायेंगी।

(ख) जल उपभोक्ता क्षेत्र के सभी जल उपभोक्ता।

(ग) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा जल संसाधन तथा कृषि विभाग से एक–एक अधिकारी का नामांकन जल उपभोक्ता संथा के सलाहकार सदस्य के रूप में कर सकेगी, तथा इन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(3) उपधारा (2) में विर्निदिष्ट सदस्य जल उपभोक्ता संथा की सामान्य सभा का गठन करेंगे।

जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति का गठन एवं अध्यक्ष व सदस्यों का निर्वाचन

5. (1) प्रत्येक जल उपभोक्ता संथा के लिए एक प्रबंध समिति होगी।

(2) प्रत्येक जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र जैसा कि धारा 3 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट है, से निर्वाचित सदस्य, समाविष्ट होंगें।

(3) प्रबंध समिति के सदस्यों की पदावधि, यदि अधिनियम के प्रावधान के अधीन उन्हें वापस न बुलाया गया हो या हटाया न गया हो या निरर्हित न किया गया हो तो, प्रथम सम्मिलन की तारीख से पांच वर्ष की होगी :

परंतु विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार, पदावधि में एक वर्ष की वृद्धि कर सकेगा।

(4) निर्वाचन की घोषणा के पश्चात्, तीस दिवस में प्रबंध समिति का प्रथम सम्मिलन आहूत किया जाएगा।

(5) जल उपभोक्ता संथा के प्रबंध समिति के अध्यक्ष पद का चुनाव जिला कलेक्टर गुप्त मतदान पद्धति द्वारा, विहित रीति से करवायेगा।

(6) जिला कलेक्टर, प्रबंध समिति, जिसमें कि एक सदस्य जल उपभोक्ता क्षेत्र के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का हो, के चुनाव की विहित रीति से व्यवस्था करेगा :

परंतु एक ही जल उपभोक्ता संथा के एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि चुने जाने के पात्र व्यक्ति को, उनकी इच्छानुसार एक ही प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व का अधिकार होगा, किंतु उसे ऐसी इच्छा नामांकन के पूर्व प्रगट करनी होगी ;

परंतु, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति का सदस्य नहीं हो सकता।

(7) यदि, निर्वाचन में जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष या सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं, तो असफल होने के 90 दिनों के भीतर अधिनियम की धारा 5 या 6 में दर्शाये अनुसार, जैसे भी स्थिति हो, पुनः निर्वाचन कराया जाना चाहिए।

(8) राज्य शासन, जल संसाधन विभाग के समुचित स्तर के अधिकारी का नामांकन, जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के सचिव के रूप में कर सकेगा। ऐसे अधिकारी को मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(9) अध्यक्ष की सहायता के लिए,एक कोषाध्यक्ष का चुनाव प्रबंध समिति के सदस्यों में से होगा। कोषाध्यक्ष, प्रबंध समिति के निर्देशन में कार्य करेंगे।

(10) परंतु, जल के साम्यपूर्ण वितरण हेतु, प्रबंध समिति में जल उपभोक्ता क्षेत्र के शीर्ष, मध्य एवं अंतिम क्षेत्र को पर्याप्त प्रतिनिधित्व विहित रीति से किया जाएगा ;

(11) प्रत्येक जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये स्थान आरक्षित रखे जाएंगे, और इस प्रकार, आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस जल उपभोक्ता संथा के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के साथ यथासाध्य वही होगा जो उस जल उपभोक्ता क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, की या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के जल उपभोक्ताओं की संख्या का उस जल उपभोक्ता क्षेत्र की कुल जल उपभोक्ताओं की संख्या के साथ है, ऐसे स्थान विहित प्राधिकारी द्वारा उस जल उपभोक्ता संथा में भिन्न–भिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए विहित रीति में

आवंटित किए जा सकेंगे।

परंतु, स्थानों का ऐसा आरक्षण जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के कुल सदस्यों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(12) ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को, जिनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों की कोई जनसंख्या नहीं है उन्हें यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों के लिए आरक्षित स्थानों के आवंटन के लिए अपवर्जित कर दिया जायगा।

(13) उपधारा (11) के अधीन आरक्षित किया गया स्थान एवं अनारक्षित स्थानों का एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे तथा यह आरक्षण समस्तर एवं प्रभागवार होगा।

स्पष्टीकरण :— "समस्तर एवं प्रभागवार आरक्षण" से अभिप्रेत है प्रत्येक वर्ग अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य में आरक्षण।

(14) महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान विहित प्राधिकारी द्वारा विहित रीति में जल उपभोक्ता संथा में भिन्न–भिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए लॉट निकाल कर और चक्रानुक्रम से आवंटित किये जा सकेंगे।

(15) जल उपभोक्ता क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायत/पंचायतों से एक सदस्य का नामांकन, जल उपभोक्ता समिति की प्रबंध समिति हेतु किया जायेगा, तथा ऐसे सदस्य को मतदान का अधिकार नहीं होगा।

परंतु, ऐसा नामांकन जल उपभोक्ता समिति की प्रबंध समिति द्वारा जल उपभोक्ता क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायत/पंचायतों की सहमति के साथ विहित रीति से होगा।

(16) जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति का अध्यक्ष, यदि पूर्व में अधिनियम के प्रावधानों द्वारा वापिस न बुलाया गया हो, या हटाया अथवा निरर्हित न हुआ हो, तो वे निर्वाचन तिथि से पांच वर्ष कालावधि या उनके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की सदस्यता अवधि तक पद पर रहेंगे जो भी पहले हो।

(17) प्रबंध समिति, जल उपभोक्ता संथा की शक्तियों का

प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करेगी।

वितरिका क्षेत्र का अंकन

6\. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार, तीन या अधिक जल उपभोक्ता संथाओं को समाविष्ट करते हुए, सिंचाई प्रणाली के प्रत्येक कमाण्ड क्षेत्र को अंकित कर सकेगा, और उसे इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए वितरिका क्षेत्र घोषित कर सकेगा :

परंतु, मध्यम एवं वृहद योजना के लिए जल वितरण प्रणाली के आधार पर, वितरिका समिति का आवश्यकतानुसार गठन किया जा सकेगा।

(2) सिंचाई परियोजना से संवद्ध प्रभारी नहर अधिकारी और जल उपभोक्ता संथा द्वारा संयुक्ततः अनुशंसाओं के आधार पर (1) में वितरिका क्षेत्र का अंकन किया जाएगा।

वितरिका समिति का गठन

7\. (1) प्रत्येक ऐसे वितरिका क्षेत्र के लिए, जिसमें उपधारा (1) के अधीन उस रूप में घोषित किया जाए, एक वितरिका समिति होगी, जो उसके स्थानीय सुभिन्न नाम से जानी जाएगी।

(2) (क) वितरिका क्षेत्र में जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यगण, जब तक वे इस पद पर कार्यरत हैं, समिति की सामान्य सभा का गठन करेंगे ;

(ख) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जल संसाधन विभाग और कृषि विभाग या आयाकट विभाग से एक–एक अधिकारी का नामांकन, वितरिका समिति के सलाहकार सदस्य के रूप में कर सकेगी, तथा इन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा।

वितरिका समिति की प्रबंध समिति का गठन तथा अध्यक्ष एवं सदस्यों का निर्वाचन

8\. (1) प्रत्येक वितरिका समिति के लिए, एक प्रबंध समिति होगी।

(2) राज्य सरकार, प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के, जो कि वितरिका समिति के साधारण निकाय के पांच सदस्यों या उससे अधिक किंतु पंद्रह से अधिक नहीं होंगे, जिनकी संख्या का निर्धारण वितरिका समिति के कमाण्ड क्षेत्र के आधार पर होगा, एवं जो वितरिका समिति की साधारण सभा के सदस्यों में से होंगे, का गुप्त मतदान पद्धति द्वारा निर्वाचन के लिए, ऐसी रीति में जो कि विहित की जाए, करेगी :

परंतु, यदि निर्वाचन में वितरिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष या सदस्यों के लिए कोई निर्वाचित नहीं होते हैं, तो

90 दिवस के भीतर उपरोक्तानुसार पुनः निर्वाचन कराया जाएगा।

(3) राज्य सरकार, जल संसाधन विभाग के समुचित स्तर के अधिकारी का नामांकन, वितरिका समिति की प्रबंध समिति के सचिव के रूप में कर सकेगी। ऐसे अधिकारी को मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(4) अध्यक्ष की सहायता के लिए एक कोषाध्यक्ष का चुनाव प्रबंध समिति द्वारा उसके सदस्यों में से होगा एवं कोषाध्यक्ष, प्रबंध समिति के निर्देशन में कार्य करेंगे।

(5) परंतु, जल के साम्यपूर्ण वितरण हेतु, प्रबंध समिति में जल उपभोक्ता क्षेत्र के शीर्ष, मध्य एवं अंतिम क्षेत्र को पर्याप्त प्रतिनिधित्व विहित रीति से किया जाएगा।

(6) प्रत्येक वितरिका समिति की प्रबंध समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये स्थान आरक्षित रखे जाएंगे, और इस प्रकार, आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस वितरिका समिति की प्रबंध समिति की कुल संख्या के साथ यथासाध्य वही होगा जो उस वितरिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, की या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के जल उपभोक्ताओं की संख्या का उस वितरिका क्षेत्र की कुल जल उपभोक्ताओं की संख्या के साथ है, ऐसे स्थान विहित प्राधिकारी द्वारा उस वितरिका समिति में विहित रीति में आरक्षित किए जा सकेंगे।

परंतु, स्थानों का ऐसा आरक्षण वितरिका समिति की प्रबंध समिति के कुल सदस्यों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(7) उपधारा (6) के अधीन आरक्षित किया गया स्थान एवं अनारक्षित स्थानों का एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे तथा यह आरक्षण समस्तर एवं प्रभागवार होगा।

स्पष्टीकरण :– "समस्तर एवं प्रभागवार आरक्षण" से अभिप्रेत है प्रत्येक वर्ग अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य में आरक्षण।

(8) महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान विहित प्राधिकारी द्वारा विहित रीति में आरक्षित किये जा सकेंगे।

(9) वितरिका क्षेत्र में स्थित जनपद पंचायत/पंचायतों से एक

सदस्य का नामांकन, वितरिका समिति की प्रबंध समिति हेतु किया जायेगा, तथा ऐसे सदस्य को मतदान का अधिकार नहीं होगा।

परंतु, ऐसा नामांकन वितरिका समिति की प्रबंध समिति द्वारा वितरिका क्षेत्र में स्थित जनपद पंचायत/पंचायतों की सहमति के साथ विहित रीति से होगा।

(10) प्रबंध समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को, यदि पूर्व में अधिनियम की धारा 14 के अधीन वापस न बुलाया गया हो, तो वे प्रथम सम्मिलन की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए पद पर रहेंगे :

परंतु, विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार पदावधि में एक वर्ष की वृद्धि कर सकेगी।

(11) घोषणा के पश्चात्, 30 दिवस के भीतर निर्वाचन की प्रबंध समिति का प्रथम सम्मिलन आहूत किया जायेगा।

(12) प्रबंध समिति, वितरिका समिति की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करेगी।

परियोजना क्षेत्र का अंकन	9.	(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और इस निमित्त इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, प्रत्येक ऐसे कमाण्ड क्षेत्र या उसके भाग को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, परियोजना क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकेगा। (2) परियोजना क्षेत्र की वितरिका समिति के अध्यक्षों और सिंचाई परियोजना के संबद्ध प्रभारी नहर अधिकारी द्वारा संयुक्ततः अनुशंसाओं के आधार पर उपधारा (1) परियोजना क्षेत्र का अंकन किया जाएगा।
परियोजना समिति का गठन	10.	(1) प्रत्येक परियोजना क्षेत्र के लिए जिसे उपधारा (1) धारा 9 के अधीन उस रूप में घोषित किया जाए, एक परियोजना समिति होगी, जो कि उसके सुभिन्न नाम से जानी जाएगी। (2) सिंचाई प्रणाली में जहां वितरिका समिति हैं, परियोजना क्षेत्र की वितरिका समिति की प्रबंध समिति के सभी अध्यक्ष, तथा सदस्यगण, जब तक वे अपने पद पर कार्यरत हैं, परियोजना समिति की सामान्य सभा का गठन करेंगे। (3) सिंचाई प्रणाली में जहां कहीं वितरिका समिति नहीं है,

उस परियोजना क्षेत्र की जल उपभोक्ता संथाओं की प्रबंध समितियों के सभी अध्यक्षों एवं सदस्यों जब तक वे पद पर हैं, परियोजना समिति के साधारण सभा का गठन करेंगे।

(4) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, जल संसाधन विभाग तथा कृषि/आयाकट विभाग से एक–एक अधिकारी का नामांकन, परियोजना समिति के सलाहकार सदस्य के रूप में कर सकेगी, तथा इन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा।

परियोजना समिति के लिए प्रबंध समिति का गठन एवं अध्यक्ष व सदस्यों का निर्वाचन

11. (1) प्रत्येक परियोजना समिति के लिए एक प्रबंध समिति होगी।

(2) राज्य सरकार, परियोजना समिति के साधारण निकाय के सदस्यों में से 9 सदस्यों से अनाधिक का, गुप्त मतदान पद्धति द्वारा निर्वाचन व्यवस्था हेतु, ऐसी रीति से व्यवस्था करायेगा जैसा कि विहित की जावे :

परंतु, यदि निर्वाचन में प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं, तो विहित रीति से नया निर्वाचन कराया जाएगा।

(3) राज्य सरकार, जल संसाधन विभाग के समुचित स्तर के अधिकारी का नामांकन, परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सचिव के रूप में कर सकेगी। ऐसे अधिकारी को मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(4) अध्यक्ष की सहायता के लिए एक कोषाध्यक्ष का चुनाव प्रबंध समिति द्वारा उसके सदस्यों में से होगा एवं कोषाध्यक्ष, प्रबंध समिति के निर्देशन में कार्य करेंगे।

(5) परंतु, जल के साम्यपूर्ण वितरण हेतु, प्रबंध समिति में जल उपभोक्ता क्षेत्र के शीर्ष, मध्य एवं अंतिम क्षेत्र को पर्याप्त प्रतिनिधित्व विहित रीति से किया जाएगा।

(6) प्रत्येक परियोजना समिति की प्रबंध समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये स्थान आरक्षित रखे जाएंगे, और इस प्रकार, आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस परियोजना समिति की प्रबंध समिति की कुल संख्या के साथ यथासाध्य वही होगा जो उस परियोजना क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, की या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के जल उपभोक्ताओं की संख्या का उस परियोजना क्षेत्र की कुल जल उपभोक्ताओं की संख्या के साथ है, ऐसे स्थान विहित प्राधिकारी द्वारा उस परियोजना समिति में विहित रीति में आरक्षित किए जा सकेंगे।

परंतु, स्थानों का ऐसा आरक्षण परियोजना समिति की प्रबंध समिति के कुल सदस्यों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(7) उपधारा (6) के अधीन आरक्षित किया गया स्थान एवं अनारक्षित स्थानों का एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे तथा यह आरक्षण समस्तर एवं प्रभागवार होगा।

स्पष्टीकरण :— "समस्तर एवं प्रभागवार आरक्षण" से अभिप्रेत है प्रत्येक वर्ग अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य में आरक्षण।

(8) महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान विहित प्राधिकारी द्वारा विहित रीति में आरक्षित किये जा सकेंगे।

(9) परियोजना क्षेत्र में स्थित जिला पंचायत/पंचायतों से एक सदस्य का नामांकन, परियोजना समिति की प्रबंध समिति हेतु किया जायेगा, तथा ऐसे सदस्य को मतदान का अधिकार नहीं होगा।

परंतु, ऐसा नामांकन परियोजना समिति की प्रबंध समिति द्वारा परियोजना क्षेत्र में स्थित जिला पंचायत/पंचायतों की सहमति के साथ विहित रीति से होगा।

(8) प्रबंध समिति के सभापति और सदस्यों की पदावधि, प्रथम सम्मिलन की तारीख से पांच वर्ष की होगी

परंतु विशेष परिस्थितियों में, राज्य सरकार एक वर्ष के लिए पदावधि बढ़ा सकेगी।

(9) निर्वाचन की घोषणा के पश्चात्, तीस दिवस में प्रथम सम्मिलन आहूत किया जाएगा।

(10) परियोजना समिति के प्रबंध समितिके अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, यदि अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत वापस न बुलाया या हटाया या निरर्हित न किया गया हो तो, उनकी क्रमशः पदावधि के सहमार्गन्त होगी।

(11) प्रबंध समिति, परियोजना समिति की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करेगी।

राज्य स्तर पर कृषक संगठनों का परिसंघ

12. सिंचाई प्रणाली प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी, सिंचित कृषि संबंधित क्रियाकलापों तथा किसानों के राज्य सरकार व गैर सरकारी संगठनों से चर्चा में सहायता हेतु, इस अधिनियम के अंतर्गत कृषक संगठन, एक राज्य स्तरीय कृषक परिसंघ के गठन का निर्णय ले सकेंगे।

राज्य स्तरीय नीति समिति

13. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा एक नीति समिति का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :-

(क) प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग – सभापति (चेयर पर्सन) ;

(ख) परियोजना समिति के अध्यक्षों में से तीन व्यक्ति ;

(ग) लघु सिंचाई प्रणाली के जल उपभोक्ता संथाओं के अध्यक्षों में से दो व्यक्ति ;

(घ) गैर – सरकारी संगठनों से दो व्यक्ति जिसमें से एक, भागीदारी सिंचाई प्रबंधन क्षेत्र की जानकारी रखता हो ; और

(ङ) राज्य सरकार के तीन अधिकारी, जो की मुख्य अभियंता या उसके समतुल्य से निम्न श्रेणी के न हों, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग तथा आयाकट विभाग प्रत्येक से एक।

(2) सदस्यों की संख्या में उतनी वृद्धि की जा सकेगी, जितनी कि राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझी जावे।

(3) उपधारा (1) के अधीन गठित समिति में आवश्यक होगा कि परियोजना समिति तथा जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्षों में से कम से कम एक तिहाई, महिलायें ली जावें। शासकीय विभागों तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधित्व में भी यथा संभव एक तिहाई महिलायें होंगी।

(4) उपधारा (1) के अधीन गठित की गई समिति, ऐसी शक्तियों तथा ऐसे कृत्यों का प्रयोग करेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे।

वापस बुलाने की

14. (1) कृषकों के संगठन के, प्रबंध समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य को वापस बुलाने का प्रस्ताव, कृषक संगठन के सदस्यों

की, जो मतदान करने के हकदार हों, कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित सूचना, जैसा कि विहित की जाए, किया जाएगा : प्रक्रिया

परंतु इस धारा के अधीन प्रस्ताव की कोई सूचना, ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके विरूद्ध प्रस्ताव, प्रस्तावित करना चाहा गया है, के पद धारण करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर, नहीं की जाएगी।

(2) यदि, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत या मतदान करने वाली संथा के सदस्यों की कुल संख्या के आधे सदस्यों द्वारा समर्थित कोई प्रस्ताव इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाए गए साधारण निकाय के सम्मिलन में लाया जाता है, तो यथास्थिति, जिला कलेक्टर या राज्य सरकार, आदेश द्वारा उसे उसके पद से हटा सकेगी और रिक्ति को धारा 20 में विनिर्दिष्ट रीति में भरा जाएगा।

प्रबंध समिति द्वारा अध्यक्ष को हटाए जाने की प्रक्रिया

15. कृषकों के संगठन के सदस्यों द्वारा, अध्यक्ष को, उस प्रबंध समिति के दो तिहाई सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव पारित कर, संगठन के प्रबंध समिति से हटाया जा सकता है।

कृषकों के संगठन में उपसमिति का गठन

16. (1) कृषकों के संगठन की प्रबंध समिति, इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक संगठन में निहित किन्हीं या समस्त कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए उपसमितियों का गठन कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अंतर्गत गठित उपसमितियों में संबंधित कृषक संगठन की, कम से कम एक तिहाई महिला सदस्यों का होना जरूरी है।

कृषक संगठन एक निगमित संगठन होगा

17. प्रत्येक कृषक संगठन अपने सुभिन्न नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उस हैसियत से संविदाएं कर सकेगा, तथा ऐसी समस्त बातें, जो उस प्रयोजन के लिए आवश्यक, उचित या समीचीन हों जिसके लिए वह गठित किया गया था, कर सकेगा और वह उसके निगमित नाम से यथास्थिति, अध्यक्ष के माध्यम से वाद ला सकेगा या उस पर वाद लाया जा सकेगा :

परंतु कृषकों के किसी भी संगठन को, उसमें निहित संपत्ति को, किसी भी रीति में अन्य संक्रात करने की शक्ति नहीं होगी।

18. राज्य सरकार, कमाण्ड क्षेत्र में किसी कृषक संगठन के हित में, संबंधित कृषक संगठन की पूर्व सहमति से, अधिसूचना द्वारा, और इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार,— **कृषक संगठन में परिवर्तन**

(क) किसी कृषक संगठन से, किसी क्षेत्र को पृथक कर, एक नया कृषक संगठन बना सकेगा ;

(ख) किसी कृषक संगठन के क्षेत्र में वृद्धि कर सकेगा ;

(ग) किसी कृषक संगठन के क्षेत्र में कमी कर सकेगा ;

(घ) किसी कृषक संगठन की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगा ; या

(ङ) किसी भूल की परिशुद्धि करने के लिए अधिनियम के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना को रद्द कर सकेगा :

परंतु, ऐसा कोई पृथक्करण, वृद्धि, कमी, परिवर्तन या रद्दकरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संभाव्यतः प्रभावित होने वाले संगठन को, युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

19. (1) भारत सरकार, या किसी राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी का कोई अधिकारी या सेवक या राज्य सरकार की निधि से सहायता प्राप्त कर रही किसी संथा का कोई कर्मचारी, प्रबंध समिति, का अध्यक्ष अथवा सदस्य चुने जाने या होने के लिए अर्हित नहीं होगा। **अभ्यर्थी या सदस्य की निरर्हता**

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसे किसी दंड न्यायालय द्वारा किन्हीं अपराधों जिसमें नैतिक दुराचरण अंतर्वलित हो, के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है, किसी प्रबंध समिति के अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में चुने जाने या होने के लिए अर्हित नहीं होगा।

(3) किसी प्रबंध समिति के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निरर्हित होगा, यदि निर्वाचन के लिए नामांकन की छानबीन की लिए नियत की गई तारीख को वह :—

(क) विकृत चित्त का है ;

(ख) दिवालिया या उन्मोचित दिवालिया, न्यायनिर्णित होने के रूप में आवेदक हों ; या

(ग) भू—राजस्व या जल कर या प्रभार जो या तो राज्य सरकार को या कृषक संगठन को देय हो, का व्यतिक्रमी है :

परंतु उपरोक्त व्यतिक्रमी, पूर्ववर्ती तीन वर्षों का

भुगतान कर देने पर निरर्हित नहीं होगा, तथा उपरोक्त गत तीन वर्षों की सीमा इस अधिनियम के अधिनियमित होने के पश्चात् होने वाले प्रथम चुनाव पर ही लागू होगी।

(घ) ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार या कृषक संगठन के साथ की गई अस्तित्वयुक्त संविदा या उनके लिए किए जा रहे संकर्म में हितवद्ध हो :

परंतु किसी व्यक्ति का संविदा या संकर्म में कोई हित होना, केवल इस कारण से नहीं समझा जाएगा कि उसमें उसका अंश या हित :—

(एक) किसी कंपनी में मात्र अंश धारक के रूप में है लेकिन संचालक के रूप में न हो ;

(दो) किसी स्थावर संपत्ति के पट्टों, विक्रय या क्रय अथवा इसी हेतु किसी करार में हैं ; या

(तीन) धन के उधार या केवल धन के भुगतान के लिए प्रतिभूति के लिए किसी करार में हैं ; या

(चार) किसी ऐसे समाचार पत्र में हैं, जिसमें कृषक संगठन के कार्यकलापों से संबंधित विज्ञापन अंतः स्थापित हों ;

स्पष्टीकरण :— शंकाओं को दूर करने के लिए, एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि जहां किसी संविदा का पूर्व निर्वहन हो गया हो, तो वह मात्र इस आधार पर अस्तित्वयुक्त नहीं समझी जाएगी कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कृषक संगठन, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार ने अपने भाग की संविदात्मक बाध्यताओं का निर्वहन नहीं किया है ;

(ङ) जल उपभोक्ता संथा के गठन के पश्चात्, कार्य क्षेत्र की भूमि का विक्रय करने या अंतरण करने के कारण भूमिहीन व्यक्ति ;

(च) शासकीय या अर्द्धशासकीय अथवा स्थानीय निकाय में नियोजित है।

(4) प्रबंध समिति का अध्यक्ष अथवा सदस्य पद पर बने रहने से निरर्हित हो जाएगा यदि वह —

(क) लगातार तीन सम्मिलनों में, युक्तियुक्त कारण के विना अनुपस्थित रहता है ;

(ख) वह व्यक्ति जो उपधारा (1), (2) तथा (3) में वर्णित किसी भी निरर्हताओं में से कोई निरर्हता प्राप्त है, तो वह तत्काल अपने पद पर नहीं रहेगा :

परंतु खंड (क) के अधीन निरर्हता, ऐसी महिला, जो गर्भावस्था की उन्नत अवस्था में हैं और प्रसव के पश्चात् तीन मास की कालावधि तक के मामले में लागू नहीं होगी।

(5) जल उपभोक्ता संथा का कोई सदस्य या किसी प्रवंध समिति का अध्यक्ष अथवा सदस्य पद पर वने रहने से निरर्हित हो जाएगा, यदि वह जल उपभोक्ता नहीं रह जाता/जाती है।

रिक्तियों का भरा जाना

20. (1) कोई रिक्ति, जो धारा 14 तथा धारा 19 के अधीन निरर्हता के कारण हुई है या मृत्यु या पद त्याग के कारण या किसी कारण से हुई है तो ऐसी रिक्ति निम्नलिखित रीति में नाम निर्देशन द्वारा भरी जावेगी अर्थात :—

(क) जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष पद की रिक्ति हेतु, जल उपभोक्ता संथा की प्रवंध समिति के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव किया जायेगा। निर्णय लेने में असफल रहने पर, जिला कलेक्टर, प्रवंध समिति के सदस्यों से कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करेगा। रिक्तियों के होने की स्थिति में प्रवंध समिति के सदस्य अथवा प्रवंध समिति के किसी सदस्य के अध्यक्ष मनोनीत होने पर जिला कलेक्टर उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विहित रीति से निर्वाचन की व्यवस्था करेगा ;

(ख) वितरिका समिति के अध्यक्ष पद की रिक्ति हेतु वितरिका समिति के प्रवंध समिति द्वारा अपने सदस्यों में से एक कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव किया जायेगा, निर्णय लेने में असफल रहने पर परियोजना समिति की प्रबंध समिति, विहित रीति से कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करेगी वितरिका समिति की प्रबंध समिति के सदस्य के रिक्तियों के होने के स्थिति में अथवा प्रवंध समिति के किसी सदस्य के अध्यक्ष मनोनीत होने पर, संबंधित मुख्य अभियंता, उस संबंधित जल उपभोक्ता संथा से एक प्रतिनिधि नियुक्त करेगा ;

(ग) परियोजना समिति के अध्यक्ष पद के रिक्ति हेतु, परियोजना समिति के प्रबंध समिति द्वारा, अपने सदस्यों में से एक कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव किया जायेगा, निर्णय लेने में असफल रहने पर संबंधित मुख्य अभियंता, परियोजना समिति के किसी एक सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करेगा। परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सदस्य की रिक्तियों के होने की स्थिति में अथवा परियोजना समिति के किसी सदस्य के अध्यक्ष मनोनीत होने पर संबंधित मुख्य अभियंता, उस संबंधित वितरक समिति से एक प्रतिनिधि नियुक्त करेगा।

(2) जहां जिला कलेक्टर को, धारा 1 के अधीन किसी रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कराने की आवश्यकता हो, तो ऐसे रिक्ति को भरने हेतु ऐसे रिक्ति होने के दो माह के भीतर राज्य सरकार को चुनाव कराने होंगे, किंतु यदि साधारण चुनाव 3 माह के भीतर होने वाले हैं, तो ये चुनाव भी साधारण चुनाव के साथ होंगे।

(3) उपधारा (2) के अंतर्गत, कृषक संगठन के निर्वाचित अध्यक्ष अथवा सदस्य की पदावधि का अवसान उसी भांति होगा, जैसा कि साधारण चुनाव में निर्वाचित होने पर होता।

उद्वहन एवं ट्यूब वेल सिंचाई के लिए जल उपभोक्ता संथा

21. इस अधिनियम के अधीन, प्रत्येक उद्वहन सिंचाई एवं ट्यूब वेल स्कीम के लिए, एक जल उपभोक्ता संथा का गठन किया जाएगा।

उद्वहन एवं ट्यूब वेल सिंचाई जल उपभोक्ता संथा के कार्य क्षेत्र का अंकन

22. इस अधिनियम के अंतर्गत, एक नहर अधिकारी जो कि, कार्यपालन अभियंता स्तर से नीचे का न हो, जिसे सक्षम प्राधिकरण द्वारा इस बाबत् शक्ति दी गई हो, इस अधिनियम के अंतर्गत नियमों के अनुसार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, उद्वहन तथा ट्यूब वेल जल उपभोक्त संथाओं के कमांड क्षेत्र का विहित मार्गदर्शिका पर आधारित विधि से अलग से अंकन करेगा, तथा इन क्षेत्रों को संबंधित उद्वहन तथा ट्यूबवेल सिंचाई जल उपभोक्ता संथा का कार्यक्षेत्र घोषित करेगा।

सतह सिंचाई के कमांड क्षेत्र में स्थित अधिसूचित नदी या जल धारा पर उद्वहन संथा के गठन की अनुमति

23. नहर अधिकारी जो कि कार्यपालन अभियंता से निम्न श्रेणी का न हो, तथा जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस बाबत् शक्ति दी गई हो, सतह सिंचाई तथा उद्वहन सिंचाई के कमांड क्षेत्र के व्यतिक्रम तथा कठिनाईयों को रोकने के लिए, लाभान्वित किसानों की पूर्वानुमति से सतह सिंचाई के कमांड में स्थित अधिसूचित नदी या जल धारा पर विहित विधि द्वारा सतह सिंचाई तथा उद्वहन सिंचाई के क्षेत्रों का अलग से अंकन कर, उद्वहन सिंचाई जल उपभोक्ता संथा के गठन की अनुमति देगा।

अध्याय–3

कृषक संगठन का उद्देश्य, शक्तियां और कृत्य

24. कृषक संगठन का उद्देश्य जल का उसके उपभोक्ताओं के बीच अभिवर्धन करना तथा जल के वितरण को सुनिश्चित करना, सिंचाई प्रणाली का पर्याप्त संधारण करना, कृषि उत्पादों की वृद्धि करने के लिए जल का द्क्षता पूर्ण तथा मित्तव्ययी उपयोग करना, पर्यावरण का संरक्षण करना तथा कृषकों को उसमें शामिल करते हुए, परिस्थितियों की संतुलन करना, जल बजट तथा कार्य योजना के अनुसार सिंचाई प्रणाली के स्वामित्व की भावना को समझना होगा ; — उद्देश्य

कृषक संगठन, अपने कमाण्ड क्षेत्र में अपने सदस्यों के उभयहित की गतिविधियां जो कि सिंचाई तथा कृषि से संबंधित हों, जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक का उपार्जन, कृषि यंत्रों का उपार्जन तथा किराये पर देना, कमाण्ड क्षेत्र से प्राप्त कृषि उत्पादों का विपणन तथा प्रसंस्करण, तथा अनुपूरक व्यवसाय जैसे पशुपालन और मछलीपालन इत्यादि कार्यों में भी संलग्न हो सकता है।

25. (1) जल उपभोक्ता संथा निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात :– — जल उपभोक्ता संथा की शक्तियां एवं कृत्य

(क) प्रत्येक सिंचाई सीजन के लिए, यथास्थिति, वितरिका समिति या परियोजना समिति द्वारा यथा अनुमोदित हकदारी क्षेत्र, भूमि तथा फसल क्रम पर आधारित कार्य योजना से संगत, वारावंदी अनुसूची तैयार करना तथा उसे क्रियान्वित करना ;

(ख) प्रत्येक फसल सीजन की समाप्ति पर, उसके कार्य क्षेत्र में सिंचाई प्रणाली के संधारण के लिए एक योजना तैयार कर क्रियान्वित करना तथा समय–समय पर संथा की निधि से उसके, कार्य क्षेत्र में, वितरक प्रणाली तथा लघु और खेत, नाली दोनों के अनुरक्षण कार्यों को कार्यान्वित करना और कर्मचारीवृंद जिसमें ऐसे व्यक्ति संम्मिलित हैं, जो सिंचाई पद्धति के विनियोजन और संधारण के प्रयोजन के लिये, जल उपभोक्ता संथा के

साथ, राज्य सरकार द्वारा रखे गए हैं, के संधारण के लिए निधियां उपलब्ध कराना ;

(ग) उच्च स्तरीय समिति अथवा संबंधित नहर अधिकारी द्वारा नहर कार्य अनुसूची से संबंधित जानकारियों को प्राप्त करना ;

(घ) प्रत्येक सिंचाई सीजन के पूर्व प्रबंध समिति की निम्नलिखित बिंदुओं के संबंध में सदस्यों के मार्गदर्शन तथा सहायता हेतु बैठक आहूत करना —

(एक) नहर कार्य अनुसूची और जल वितरण कार्यक्रम ;

(दो) सीजन के आरंभ के पूर्व नहर प्रणाली का संधारण ;

(तीन) उच्च स्तरीय समिति द्वारा तत्समय लिए गए निर्णयों की जानकारी देना ;

(ङ) प्रबंध समिति के लिए जल बंटवारा, फसल अनुसूची, कार्य और सिंचाई प्रणाली का संधारण से संबंधित निर्णय से पूर्व संस्तुति करना ;

(च) इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात्, बकाया सहित विहित दर पर जल प्रभार को संथा के सदस्यों से वसूल करना और ऐसी वसूली गई राशि को विहित रीति से जमा करना ;

(छ) अधिनियम के लागू होने के पूर्व के जल प्रभार के बकाया की वसूली, राज्य सरकार द्वारा समुचित प्रवर्तक योजना के अंतर्गत और नियमों के अधीन विहित अनुसार की जाएगी ;

(ज) उसके क्षेत्राधिकार की नहर प्रणाली का वार्षिक संधारण तथा सुधार करना ;

(झ) वाराबंदी अनुसूची की प्रणाली के अनुसार, उसके कार्य क्षेत्र के अधीन विभिन्न पाइप निकास से जल उपयोग को विनियमित करना ;

(ञ) आवंटित किए गए जल के उपयोग में मितव्ययिता को प्रोन्नत करना ;

(ट) भू–धारकों का एक रजिस्टर रखना, जैसा कि राजस्व विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाए ;

(ठ) सहयोजित सदस्यों का एक रजिस्टर तैयार करना एवं रखना ;

(ड) कार्य क्षेत्र के भीतर सिंचाई प्रणाली की सूची (इन्वेन्ट्री) तैयार करना तथा रखना ;

(ढ) सिंचाई के लिए जल के बहाव का अनुश्रवण (मॉनिटर) करना ;

(ण) सिंचित कृषि के संवंधित सभी संहबद्ध क्रियाकलापों का जिम्मा ;

(त) जल उपभोक्ताओं तथा सदस्यों के वीच उसके कार्य क्षेत्र में यदि कोई विवाद हो, तो उसका निराकरण;

(थ) संसाधनों में वृद्धि करना ;

(द) लेखा संधारण ;

(ध) उसके लेखाओं का वार्षिक संपरीक्षा करना ;

(न) प्रवंध समिति के निर्वाचनों के संचालन में सहायता करना ;

(प) अन्य अभिलेखों को, ऐसी रीति में रखना जैसी कि विहित की जाए ;

(फ) वितरिका समिति तथा परियोजना समितियों के विनिश्चयों का पालन करना ;

(व) साधारण निकाय के सम्मिलनों को, ऐसी रीति में संचालित करना, जैसी कि विहित की जाए ;

(भ) जल के नियमित वजट का संचालन करना तथा सामयिक सामाजिक संपरीक्षा ऐसी रीति में संचालित करना, जैसा कि विहित किया जाए।

(2) अतिक्रमण हटाने की शक्ति : जल उपभोक्ता संथा, अपने कार्यक्षेत्र में नहरों से सटे हुए संपत्ति के अतिक्रमण को वैसी प्रक्रिया से हटा सकेगी, जैसी कि विहित किया जाए।

(3) जल उपभोक्ता संथा के साथ अनुबंध :—

(क) जल उपभोक्ता संथा और उच्च स्तरीय समिति या नहर अधिकारी के मध्य, जल उपभोक्ता संथा के गठन के तीन मास के भीतर अनुबंध किया जाएगा ;

(ख) कृषकों द्वारा सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन के क्षेत्र के भीतर किसी जल उपभोक्ता संथा को सिंचाई हेतु जल प्रदाय तथा कृषक संगठनों के क्षेत्र के भीतर जल प्रदाय तथा सिंचाई प्रणाली का उचित संधारण व मरम्मत के लिए उपरोक्त अनुबंध के अनुसार व्यवस्था करना ;

(ग) अनुबंध के विषय वस्तु में, जैसा कि विहित किया जावे, प्रावधान किये जाएंगे।

वितरिका समिति के कृत्य

26. वितरिका समिति, निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात :

(क) प्रत्येक सिंचाई सीजन के आरंभ होने पर परियोजना समिति द्वारा तैयार की गई कार्य योजना के संगत उसके हकदारी क्षेत्र, भूमि (मिट्टी), फसल क्रम पद्धति पर आधारित कार्य योजना, तैयार करना ;

(ख) प्रत्येक सीजन के पूर्व संधारण कार्यों को प्राथमिकता से चिन्हित कर, समालोचनात्मक संधारण कर, क्रियान्वित करना, उसके कार्य क्षेत्र के भीतर वितरिका तथा मध्यम नाली दोनों के संधारण के लिए योजना तैयार करना, समिति की निधि से अनुरक्षण संकर्म निष्पादित करना, निष्पादित किये गए कार्यों का अनुश्रवण (मानीटर) करना, और संतुष्ट होना कि वे विहित मापदंड से किए गए और कर्मचारीवृन्द जिनमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं, जो सिंचाई पद्धति के विनियमन और संधारण के प्रयोजन के लिए वितरिका समिति के साथ राज्य सरकार द्वारा रखे गए हैं, के संधारण के लिए निधियां उपलब्ध कराना ;

(ग) कार्य क्षेत्र में विभिन्न जल उपभोक्ता संथा के बीच कार्य क्षेत्र के अधीन जल के उपयोग को विनियमित करना और सिंचाई के लिए जल के बहाव क्षेत्र का अनुश्रवण करना ;

(घ) जल उपभोक्ता संथाओं के मध्य उसके कार्य क्षेत्र में यदि कोई विवाद हो तो उसका निराकरण करना ;

(ङ) उसके कार्यक्षेत्र में जल उपभोवता संथा का रजिस्टर रखना ;

(च) उसके कार्यक्षेत्र में सिंचाई प्रणाली जिसमें नाली

सम्मिलित है, की सूची (इन्वेन्ट्री) रखना ;

(छ) आबंटित किए गए जल के उपयोग में मितव्ययिता प्रोन्नत करना ;

(ज) लेखा रखना ;

(झ) वार्षिक संपरीक्षा कराना ;

(ञ) अन्य अभिलेख रखना, जैसा कि विहित किया जाए ;

(ट) सिंचाई के लिए जल के बहाव का अनुश्रवण करना ;

(ठ) साधारण निकाय के सम्मिलनों को ऐसी रीति में संचालित करना जैसा कि विहित किया जाए ;

(ड) परियोजना समिति के विनिश्चयों का पालन करना;

(ढ) जल के नियमित बजट का संचालन करना तथा सामयिक सामाजिक संपरीक्षा, ऐसी रीति से कराना जैसी कि विहित किया जाए ;

(ण) प्रबंध समिति के निर्वाचनों के संचालन में सहायता करना ;

(त) उपरोक्त कृत्यों के पालन हेतु, संगठन के उपविधियों और उनके अंतर्गत नियम तथा मंजूरी का संथापन करना ;

परियोजना समिति के कृत्य

27. परियोजना समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात :—

(क) प्रत्येक सिंचाई सीजन के आरंभ में परियोजना क्षेत्र के संबंध में उसके हकदारी क्षेत्र, भूमि तथा फसल क्रम पर आधारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई कार्य योजना का अनुमोदन करना ;

(ख) प्रत्येक फसल सीजन की समाप्ति पर कार्य क्षेत्र के भीतर लागू योजना का विस्तार, अनुवृद्धि, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण तथा वृहद नाली को सम्मिलित करते हुए सिंचाई प्रणाली का वार्षिक अनुरक्षण और समय–समय पर समिति की निधि से अनुरक्षण, संकर्म निष्पादित करना और कर्मचारिवृंद जिसमें ऐसे व्यक्ति सम्मिलित है, जो सिंचाई पद्धति के विनियमन और संधारण के प्रयोजन के लिए, परियोजना समिति के साथ राज्य सरकार द्वारा रखे गए

हैं, के संधारण के लिए निधियां उपलब्ध कराना ;

(ग) उसके कार्यक्षेत्र में, वितरिका समिति एवं जल उपभोक्ता संथा की सूची रखना ;

(घ) उसके कार्य में वितरिका, तथा जल निकास प्रणाली की सूची रखना ;

(ड) कार्यक्षेत्र की वितरिका तालिका एवं निकास प्रणाली की तालिका बनाना ;

(च) वितरिका समिति में कोई विवाद हो तो उसका निराकरण करना ;

(छ) जल के उपयोग में मितव्ययिता को प्रोन्नत करना ;

(ज) लेखा रखना ;

(झ) उसके अभिलेखों की वार्षिक संपरीक्षा कराना ;

(ञ) उसके अभिलेखो को ऐसी रीति से रखना, जैसा कि विहित किया जाए ;

(ट) साधारण निकाय के सम्मिलन ऐसी रीति में, संचालित करना जैसी कि विहित किया जाए ;

(ठ) जल का नियमित बजट बनवाना तथा सामाजिक - सामयिक संपरीक्षा की ऐसी रीति से संचालित करना जैसी कि विहित किया जाए ;

(ड) प्रत्येक वितरिका समिति एवं जल उपभोक्ता संथा को जल आवंटित करना और जल के उपयोग में मितव्ययिता को प्रोन्नत/करना ;

(ढ) उपरोक्त कृत्यों के पालन हेतु, संगठन के उपविधियों नियमों तथा मंजूरी का संथापन करना।

सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति और उसके कार्य.

28. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जल संसाधन या किसी अन्य विभाग से ऐसे अधिकारी को, जैसा कि वह आवश्यक समझे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक कृषक संगठन के लिए, सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारी, विहित रीति में कृषक संगठन द्वारा किए गए समस्त विनिश्चयनों के

कार्यान्वयन तथा निष्पादन के लिए अपने-अपने कृषक संगठन के प्रति उत्तरदायी होगा और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराएगा, तथा यह सुनिश्चित करेगा, कि तकनीकी पैरामीटर के अनुसार कार्य निष्पादित हो गया हो।

कतिपय मामलों में कृषक संगठन की संकर्मों का निष्पादन करने के लिए आदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति

29. (1) राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा, किसी भी कृषक संगठन को इस अधिनियम द्वारा किसी भी ऐसे कर्त्तव्य का पालन करने या किसी ऐसे संकर्म के संबंध में निर्देश दे सकेगी/सकेगा, जिसका उसके द्वारा यथास्थिति पालन या निष्पादन नहीं किया जा रहा है, और जिसका पालन या निष्पादन ऐसी कृषक संगठन द्वारा लोकहित में किया जाना, राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी की राय में आवश्यक है।

(2) कृषक संगठन, उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध, होगी और यदि, वह ऐसा नहीं करता है, तो राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी को उन निर्देशों को कृषक संगठन के व्यय से यदि कोई हों; अनुपालन कराने की समस्त शक्तियां होंगी, और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में वह, उस कृषक संगठन या उसके अधिकारी या सेवक जिसकी शक्तियां प्रयोग में लाई जाती हैं, के समान उस अधिनियम के अधीन उसी संरक्षण का, तथा उसी सीमा तक हकदार होगा।

आदेशों/संकल्पों आदि का निष्पादन निलंबित करने की शक्ति

30. (1) राज्य सरकार या इस अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, और उसमें कथित किए जाने वाले कारणों से, कृषक संगठन द्वारा पारित किसी संकल्प के, जारी किए गए किसी आदेश, या दी गई अनुज्ञा के निष्पादन को निलंबित कर सकेगा, या किसी कृषक संगठन द्वारा किसी कृत्य के पालन को प्रतिषिद्ध कर सकेगा, यदि उनकी राय में –

(क) ऐसा संकल्प, आदेश, अनुज्ञा या कार्य वैध रूप से पारित, जारी मंजूर या प्राधिकृत नहीं किया गया है/नहीं की गई है ; या

(ख) ऐसा संकल्प, आदेश, अनुज्ञा या कार्य इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परे है, या किसी विधि के प्रतिकूल है ; या

(ग) ऐसे संकल्प या आदेश के निष्पादन से या ऐसी अनुज्ञा के लगातार प्रवृत्त बने रहने या ऐसा कार्य किए जाने से –

(एक) कृषक संगठन में निहित, किसी धन की

हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग होना, या उसमें निहित किसी संपत्ति का नुकसान होना संभाव्य है ;

(दो) सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है।

(2) जब कभी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किया जाता है, तो वह यथा संभव शीघ्र और प्रत्येक दशा में, आदेश की तारीख से अधिक से अधिक दस दिन के भीतर, उस आदेश की एक प्रति और उसके साथ उसके किये जाने के कारणों का विवरण, इस अधिनियम के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय नीति समिति को अग्रेषित करेगा, और राज्य स्तरीय नीति समिति, ऐसे आदेश की पुष्टि कर सकेगा या अपास्त कर सकेगा, या उसे पुनरीक्षित कर सकेगा, या उसे उपांतरित कर सकेगा, या यह निर्देश दे सकेगा, कि वह आदेश उपांतरण सहित या उसके बिना स्थायी रूप से ऐसी कालावधि के लिए, जैसी वह ठीक समझे, प्रवृत्त बना रहेगा :

परंतु राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन पारित किया गया कोई भी आदेश, राज्य स्तरीय नीति समिति द्वारा तब तक पुष्ट, अपास्त, पुनरीक्षित या उपांतरित नहीं किया जाएगा, जब तक कि संबंधित कृषक संगठन को प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता है।

अध्याय–4

संसाधन एवं निधियां

कृषक संगठन के संसाधन 31. (1) कृषक संगठन की निधि में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे, अर्थात :–

(क) कृषक संगठन के कार्य क्षेत्र में संग्रहित जल कर के शेयर के रूप में राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान तथा कमीशन ;

(ख) कार्य क्षेत्र के विकास के लिए ऐसी अन्य निधियां जो राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की जाए ;

(ग) उसके कार्य में आर्थिक विकास क्रियाकलापों के किसी उपक्रम के लिए किसी वित्तीय अभिकरण के समुत्थापित संसाधन ;

(घ) सिंचाई प्रणाली से संलग्न संपत्तियां तथा आस्तियां से प्राप्त आय ;

(ङ) सिंचाई प्रणाली के बेहतर प्रबंध के लिए प्रदान की गई सेवाओं के लिए कृषक संगठन द्वारा संग्रहित

किया गया शुल्क ;

(च) किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त रकम।

(2) राज्य सरकार, कृषक के संगठनों को उसके सिंचाई प्रणाली के संधारण तथा संगठन की उन्नति हेतु संसाधन अपनाने हेतु अधिकृत कर सकती है।

(3) जल उपभोक्ता संथाओं द्वारा वसूल किया गया जल कर, राज्य शासन के खजाने में जमा कियां जायेगा। संबंधित जल उपभोक्ता संथा को, ऐसी जमा की गई राशि का कम से कम 25 प्रतिशत अंश विहित रीति द्वारा सौंपा जायेगा ;

परंतु, वितरिका समिति तथा परियोजना समिति को सौंपी जाने वाली राशि, इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गये नियमों द्वारा विहित होगी।

शुल्क का उद्ग्रहण एवं संग्रहण करने की शक्ति

32. कृषक संगठन, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तथा उसके कृत्यों का पालन करने के लिए, राज्य सरकार और या संगठन के निर्णयों के अनुसार समय–समय पर ऐसे शुल्क का उद्ग्रहण एवं संग्रहण करेगा जैसी कि विहित किया जाए।

जल उपभोक्ता संथा की निधियों का उपयोग

33. जल उपभोक्ता संथा द्वारा प्राप्त की गई समुत्थापित एवं उत्पादित की गई निधियों का उपयोग, जल उपभोक्ता संथा के उद्देश्यों को परिपूर्ण करने में किया जाएगा, जैसा कि विहित किया जाए।

संपरीक्षा

34. प्रत्येक कृषक संगठन, वर्ष में एक बार लेखाओं का स्वतंत्र संपरीक्षक/संपरीक्षकों से संपरीक्षा करायेगा, जैसा कि विहित किया जाए।

निधियों का निक्षेप एवं प्रसरकार

35. (1) कृषक संगठन अपने निधियों को, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या सहकारी बैंक अर्थात् जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक या छत्तीसगढ़ राज्य अपेक्स सहकारी बैंक रखेगा।

(2) निधियों का उपयोजन, इस अधिनियम के प्रसरकार से संबंधित कृषक संगठन की प्रबंध समिति द्वारा उपगत किए गए व्यय की पूर्ति करने के लिये ही किया जाएगा और अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं।

निक्षेप निधि

36. (1) कृषक संगठन की प्रबंध समिति, उधार लिए गए धन के प्रति संदाय के लिए निक्षेप निधि का अनुरक्षण करेगा तथा निक्षेप निधि में प्रत्येक वर्ष इतनी रकम जमा करेगी, जो इस प्रकार

उधार लिए गए समस्त धन का नियत कालावधि के भीतर प्रतिसंदाय करने के लिए पर्याप्त हो।

(2) निक्षेप निधि या उसका कोई भाग, ऐसे ऋण के उन्मोचन में या उसके लिए उपयोजित किया जाएगा, जिसके लिए कि ऐसी निधि सृजित की गई थी, जब तक पूर्ण रूप से ऐसे ऋण का उन्मोचन न हो जाए, तब तक उसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोजन नहीं किया जाएगा।

बजट

37. कृषक संगठन की प्रबंध समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, ऐसे प्ररूप में, आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में समिति की प्राक्कलित प्राप्तियां एवं व्यय को दर्शाते हुए बजट तैयार करेगी तथा उसे कृषक संगठन के साधारण निकाय के समक्ष इसके अनुमोदन के लिए ऐसी रीति से रखेगी जैसी कि विहित की जाए।

शोध्यों की वसूली

38. कृषक संगठन को देय अथवा शोध्य समस्त रकम भू–राजस्व की भांति वसूली योग्य होगी।

अध्याय–5

अपराध तथा शास्तियां

अपराध तथा शास्तियां

39. जो कोई भी किसी विधि पूर्ण प्राधिकार के बिना निम्नलिखित में से कोई कार्य करेगा, अर्थात् :—

(क) किसी नहर को नुकसान पहुंचाएगा, उसे परिवर्तित करेगा या उसे बढ़ाएगा या उसमें बाधा डालेगा ;

(ख) किसी नहर में के जल प्रदाय में जल के उस प्रवाह में, जो कि उस नहर से उस नहर होकर, उस नहर के ऊपर या नीचे होता हो, हस्त[illegible] करेगा, वृद्धि करेगा या कमी करेगा ;

(ग) किसी नदी या सरिता के जल प्रवा[illegible] ऐसा हस्तक्षेप करेगा या ऐसा परिवर्तन करेगा, जि[illegible] कोई नहर संकटापन्न हो जाए, उसे नुकसान प[illegible] वह कम उपयोगी हो जाए ;

(घ) किसी जल धारा के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होते हुए या उस जलधारा का उपयोग करते हुए, उसके जल की बर्बादी को रोकने के लिए उचित पूर्वावधानी बरतने में उपेक्षा करेगा या उस जल धारा में से पानी के प्राधिकृत वितरण में हस्तक्षेप करेगा या ऐसे जल का अप्राधिकृत रीति में उपयोग करेगा ;

(ङ) सिंचाई के लिए अपने खेत में जल प्राप्त करते समय, ऐसे जल की बर्बादी को रोकने के लिए उचित पूर्वावधानी बरतने में उपेक्षा करेगा ;

(च) किसी नहर के जल को इस प्रकार दूषित करेगा या गंदा करेगा, कि जिससे उन प्रयोजनों के लिए, जिनके लिए वह मामूली तौर से उपयोग में लाया जाता है, उसकी उपयुक्तता में कमी आ जाए ;

(छ) किसी ऐसे ग्राम में, जिसमें छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम 1931 (क्रमांक 3, सन् 1931) की धारा 36 के अधीन उद्घोषणा की गई हो, निवास कर रहा हो, स्थायी धारक, अधिभागी, खेतिहर या कृषि श्रमिक होते हुए, नियत किए गए स्थान पर हाजिर होने में उपेक्षा करेगा या उसे आबंटित किए गए कर्त्तव्य का पालन करने से इंकार करेगा या उसकी उपेक्षा करेगा ;

(ज) किसी नहर अधिकारी के प्राधिकार से लगाए गए किसी भूमि चिन्ह, तल–चिन्ह, जलमापी या अन्य साधित्र को नष्ट करेगा, क्षति पहुंचाएगा, विरूपित करेगा या हटाएगा ;

(झ) किसी नहर के किन्हीं भी संकर्मों, तटों या जल संरणियों पर से या उसके आर–पार पशुओं या यानों को उस दिशा में गमन कराएगा, जबकि ऐसा गमनाधिकार किसी नहर अधिकारी द्वारा प्रतिबद्ध कर दिया गया हो ;

(ञ) किसी नहर के तट या सीमा पर पशुओं को चरवाएगा या रस्सी से बंधवाकर रखवाएगा या जानते हुए और जानबूझकर उन्हें चरने देगा या रस्सी से बांध कर रखा जाने देगा, जिसे किसी नहर अधिकारी द्वारा प्रतिषिद्ध कर दिया गया हो ;

(ट) किसी नहर पर उगे हुए किसी वृक्ष, झाड़ी, घास या अन्य वनस्पति को हटाएगा या क्षति पहुंचाएगा ; या

(ठ) किसी नहर के तटों पर उसकी जलसरणियों में मल–मूत्र करेगा, वह कृषक संगठन द्वारा शिकायत की जाने पर :–

(एक) खंड (क) से (ज) तक में वर्णित अपराधों के संबंध में कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो एक हजार रूपये से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों में से और जहां अपराध चालू रहने वाला अपराध हो वहां ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम अपराध के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके कि दौरान

अपराध जारी रहा हो, बीस रूपये से अधिक न हो, दंडनीय होगा ; और

(दो) न्यूनतम शास्ति – खंड (झ) से (ठ) तक वर्णित अपराधों के संबंध में जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये से कम का नहीं होगा, किंतु जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और यदि वही व्यक्ति वैसे ही अपराध के लिए प्रकरण में पश्चात्वर्ती सिद्ध दोष ठहराया जाए, तो वह प्रत्येक ऐसी पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

कृषकों के संगठन का विघटन

40. (1) राज्य सरकार, कृषक संगठन की प्रबंध समिति का विघटन कर सकती है, यदि ऐसी समिति शासकीय निधियों का समग्र दुर्विनियोग करते अथवा करवाते पाया जाता है।

(2) उपरोक्त उपधारा (1) के अंतर्गत प्रबंध समिति का विघटन, जांच, अनुसंधान तत्संबंधित नोटिस देने तथा जवाब प्राप्त करने के पश्चात् किया जा सकता है :

परंतु, जहां प्रबंध समिति विहित समयावधि या युक्तियुक्त अवधि के अंतर्गत उत्तर नहीं देती है, वैसी स्थिति में जवाब की प्रतीक्षा ना करते हुए प्रबंध समिति का विघटन किया जा सकता है।

अन्य विधियों के अधीन दंड वर्जित नहीं होगा

41. इस अधिनियम की कोई बात, किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा दंडनीय बनाए गए किसी कृत्य या चूक के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अभियोजित किए जाने और दंडित किए जाने से निवारित नहीं करेगी :

परंतु, किसी भी व्यक्ति को उसी अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित तथा दंडित नहीं किया जाएगा।

अपराधों का शमन

42. (1) कृषक संगठन किसी व्यक्ति से या जिसके संबंध में एक युक्तियक्त विश्वास अनुमित किया जा सकता है, कि उसके इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है, या ऐसे अपराध के लिए प्रशमन स्वरूप धारा 40 के खंड (क) से (ज) तक में वर्णित अपराधों की दशा में कम से कम एक हजार रूपये तथा धारा 40 के खंड (झ) से (ठ) तक में वर्णित अपराधों के लिए, पांच सौ रूपये की धनराशि को स्वीकार कर सकेगा।

(2) ऐसी धन राशि के संदाय पर, कृषक संगठन द्वारा इस प्रकार शमन किए गए अपराध के संबंध में उसके विरूद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

अध्याय—6

विवादों का निपटारा

43. (1) कृषक संगठन के गठन, प्रबंध, शक्तियों या कृत्यों के संबंध में सदस्यों के मध्य उद्भूत कोई विवाद या मतभेद कृषक संगठन की प्रबंध समिति द्वारा अवधारित किया जाएगा : — विवादों का निपटारा

परंतु किसी विवाद या मतभेद के निपटारे के लिए इस अधिनियम के अधीन बनाये नियम के अतर्गत पृथक उपसमिति गठित की जा सकेगी।

(2) किसी सदस्य तथा जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के बीच या दो या दो से अधिक जल उपभोक्ता संथाओं के बीच उद्भूत कोई ऐसा विवाद या मतभेद, वितरिका समिति की प्रबंध समिति द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(3) किसी सदस्य तथा वितरिका समिति की प्रबंध समिति या दो या दो से अधिक वितरिका समितियों के बीच उद्भूत कोई ऐसा विवाद या मतभेद, परियोजना समिति की प्रबंध समिति द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(4) किसी सदस्य तथा परियोजना समिति की प्रबंध समिति या दो या दो से अधिक परियोजना समिति के बीच उद्भूत कोई ऐसा विवाद या मतभेद, राज्य स्तरीय नीति समिति द्वारा अवधारित किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) इस धारा के अधीन प्रत्येक विवाद या मतभेद का निपटारा, विवाद अथवा मतभेद के निर्दिष्ट किए जाने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर किया जाएगा।

44. (1) जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति द्वारा किए गए किसी विनिश्चय या पारित किए गए किसी आदेश से व्यथित किसी विवाद या मतभेद का कोई पक्षकार वितरिका समिति की प्रबंध समिति को अपील कर सकेगा जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा। — अपील

(2) वितरिका समिति की प्रबंध समिति द्वारा विनिश्चय या पारित किए गए आदेश से व्यथित मतभेद या विवाद का पक्षकार परियोजना समिति को अपील कर सकेगा जिसका विनिश्चय उस

पर अंतिम होगा।

(3) परियोजना समिति की प्रबंध समिति द्वारा किया गया कोई विनिश्चय या पारित किए गए किसी आदेश से व्यथित मतभेद या विवाद का, कोई पक्षकार राज्य स्तरीय नीति समिति को अपील कर सकेगा, जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा।

(4) इस धारा के अधीन अपील व्यथित व्यक्ति को विनिश्चय या आदेश की संसूचना के 15 दिवस के भीतर की जाएगी।

(5) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील प्रस्तुत करने की तारीख से 15 दिवस के भीतर निपटाई जाएगी।

अध्याय—7

प्रकीर्ण

अभिलेख 45. (1) प्रत्येक कृषक संगठन अपने कार्यालय में निम्नलिखित लेख, अभिलेख तथा दस्तावेज, रखेगा/संधारित करेगा अर्थात, :—

(क) कृषक संगठन के कार्य क्षेत्र के मानचित्र के साथ जल संसाधन विभाग के परामर्श से तैयार की गई संरचना तथा वितरिका जालों का मानचित्र ;

(ख) आस्तियों तथा दायित्वों का विवरण ;

(ग) कृषि समय सारणी और सिंचाई प्रबंधन और सिंचित कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय को शामिल करते हुए कार्यकलाप ;

(घ) कार्यवृत्त पुस्तक ;

(ङ) प्राप्ति तथा संदायों को दर्शित करने वाली लेखा बही ;

(च) कृषक संगठन द्वारा माल के संपूर्ण क्रय तथा विक्रय की लेखाबंदी ;

(छ) माप पुस्तकों का रजिस्टर, लेविल, फील्ड बुक्स, कार्य आदेश तथा उसी प्रकार के दस्तावेज ;

(ज) संपरीक्षा (आडिट) रिपोर्ट्स तथा जांच रिपोर्ट्स

की प्रतियां ;

(झ) समस्त ऐसे अन्य लेखे, अभिलेख तथा दस्तावेज जो समय–समय पर विहित किए जाएं ;

(ञ) स्टाफ रजिस्टर ;

(ट) भूमिधारक के विवरणों के साथ उपभोक्ताओं की सूची;

(ठ) शास्तियों का रजिस्टर।

(2) कृषक संगठन के सदस्यों की जानकारी के लिए लेखावहियां तथा अन्य अभिलेख खुले रहेंगे।

सम्मिलन

46. कृषक संगठन तथा उसकी प्रबंध समितियों का सम्मिलन ऐसे अंतराल पर होगा, उसकी प्रक्रिया, उसकी अध्यक्षता तथा गणपूर्ति इस प्रकार होगी जैसी कि विहित की जाए।

त्याग – पत्र

47. (1) कृषक संगठन की प्रबंध समिति का सदस्य, संबंधित प्रबंध समिति के अध्यक्ष को पंजीकृत डाक द्वारा पत्र भेजकर या स्वयं पत्र निविदत्त कर अपना पद त्याग सकेगा।

(2) जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति का अध्यक्ष, संबंधित वितरिका समिति के अध्यक्ष को पंजीकृत डाक द्वारा पत्र भेजकर या स्वयं पत्र निविदत्त कर अपना पद त्याग सकेगा।

(3) वितरिका समिति की प्रबंध समिति का अध्यक्ष, संबंधित परियोजना समिति के अध्यक्ष को पंजीकृत डाक द्वारा पत्र भेजकर या स्वयं पत्र निविदत्त कर अपना पद त्याग सकेगा।

(4) परियोजना समिति की प्रबंध समिति का अध्यक्ष, राज्य स्तरीय नीति समिति के अध्यक्ष को पंजीकृत डाक द्वारा भेजकर या स्वयं पत्र निविदत्त कर अपना पद त्याग सकेगा।

(5) यथा उपरोक्त वर्णित त्याग–पत्र उसकी स्वीकृति की तारीख से या उसकी प्राप्ति की तारीख से 30 दिवस का अवसान होने पर, उनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रभावशील होंगे।

नियंत्रक अधिकारी की नियुक्ति

48. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कृत्यों के पालन करने में सक्षम प्राधिकारियों तथा जिला कलेक्टरों पर सामान्य नियंत्रण तथा अधीक्षण रखने के लिए अधिसूचना द्वारा एक नियंत्रक अधिकारी की जो राज्य सरकार के सचिव की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो नियुक्त कर सकेगा।

(2) नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां

		तथा निर्वहन किए जाने वाले कृत्य ऐसे होंगे, जो कि विहित किए जाएं।
संक्रमणकालीन इंतजाम	49.	राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी कृषक संगठन और उसकी प्रबंध समिति की शक्तियों के प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, किसी अधिकारी की नियुक्ति तब तक के लिए कर सकेगी, जब तक कि उस समय तक कृषक संगठन का गठन या पुनर्गठन नहीं हो जाता या इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसी प्रबंध समिति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेती।
कृषक संगठन के आदेशों तथा दस्तावेजों का अधिप्रमाणन	50.	कृषक संगठन की समस्त अनुज्ञाओं, आदेशों, विनिश्चयों तथा अन्य दस्तावेजों को कृषक संगठन के अध्यक्षके या इस निमित्त प्रबंध समिति द्वारा प्राधिकृत प्रबंध समिति के किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किया जाएगा।
अनौपचारिकता या रिक्ति आदि द्वारा कृत्य का अविधिमान्य न होना	51.	कृषक संगठन की प्रबंध समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अवधि मान्य नहीं होगी कि उक्त समिति के गठन में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।
सद्भावपूर्वक किये गये कार्यो का संरक्षण	52.	किसी व्यक्ति के विरूद्ध, किसी भी ऐसी बात के लिए, जो कि इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गऍ नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या किया जाना आशायित रहा हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित नहीं की जाएगी।
कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति	53.	(1) यदि, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में या इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात्, किसी कृषक संगठन का प्रथम गठन या पुर्नगठन करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, अवसर की अपेक्षानुंसार कोई भी कार्य जो कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक हो, उन्हें कर सकेगा। (2) उपधारा (1) के अधीन किए गए समस्त आदेश यथाशक्य शीघ्र विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे।
व्यावृति	54.	(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्टि कोई भी बात, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिक परिषद या नगर निगम में निहित अधिकारों या संपत्तियों को प्रभावित नहीं करेगी।
नियम बनाने की शक्तियां	55.	(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन वनाये गये प्रत्येक नियम, इसके बनाऐ जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष रखे जायेगें।

आदर्श उपविधि और विनियम बनाने की शक्तियां

56. (1) राज्य सरकार, जल उपभोक्ता संथा के मार्गदर्शन तथा अंगीकरण हेतु आदर्श विनियमों को शामिल करते हुए, आदर्श उपविधि प्रकाशित करेगी।

(2) जल उपभोक्ता संथा, इन आदर्श उपविधियों तथा विनियमों को आवश्यक सुधारों के साथ, जों कि वह उचित समझे तथा, जो इस अधिनियम के उद्देश्यों, प्रावधानों तथा आवश्यक स्वभाव के विपरीत न हो, को अपना सकेगी।

निरसन

57. छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999 (क्रमांक 29 सन् 1999) एवं इसके अधीन, पारित समस्त आदेश, संकल्प यदि कोई हो, तो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले विषयों के संदर्भ में, एतद द्वारा निरसित अथवा विखण्डित, यथा स्थिति किए जाते हैं।

परंतु इस प्रकार निरसित अधिनियम के अंतर्गत दिया गया कोई भी आदेश अथवा की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधो के अधीन किए गए आदेश या की गई कारवाई समझी जाएगी, को ऐसा माना जावेगा, कि वह इस अधिनियम के सामानान्तर प्रावधानों के अंतर्गत दिया गया अथवा की गई है।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ में कृषि विकास हेतु सिंचाई प्रबंधन एक कुंजी है। छत्तीसगढ़ सरकार की यह मंशा है कि जल प्रबंधन को कृषकों की भागीदारी से अधिक सक्षम बनाने हेतु सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन को पुर्नसंरचित किया जाये। यह राष्ट्रीय जल नीति, 2002 की भी मंशा है।

इस विधेयक में जल उपभोक्ता और कृषकों को सिंचाई प्रणाली में सिंचाई के समस्त पहलू, जिसमें योजना, रूपांकन, कार्यान्वयन, अनुरक्षण, पुनर्वास, आधुनिकीकरण, प्रशासकीय अधिकार, विवादों का निपटारा, सिंचाई सेवा शुल्क/प्रभार का उद्ग्रहण तथा संग्रहण, अनुश्रवण, मूल्यांकन, बजट बनाना एवं वित्तीय प्रबंधन और सिंचाई व कृषि से संबद्ध सेवाओं का उपबंध/समन्वय से संबद्ध करना शामिल है, को सशक्त, विधिक कार्यों की विरचना उपलब्ध कराना है। ऐसा विश्वास है कि इस तरह की पद्धति से राज्य के किसानों की आर्थिक उन्नति सुनिश्चित होगी और जल शुल्क के संग्रहण में वृद्धि होने के फलस्वरूप राज्य सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त इस विधेयक में महिलाओं तथा भूमिहीनों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान होने के कारण, जल उपभोक्ता संथा अधिक साम्यपूर्ण होगी। यह भी मंशा है कि लघु सिंचाई प्रणालियों में छोटे आकार के जल उपयोग क्षेत्र हों, तथा उद्वहन प्रणाली हेतु अलग से जल उपभोक्ता संथाओं का गठन हो। इस विधेयक में राज्य शासन तथा अन्य एजेन्सियों से चर्चा एवं परस्पर सम्बन्ध हेतु राज्य स्तरीय संगठन (फेडरेशन) बनाने का भी प्रावधान है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

रायपुर

तारीख : 24/03/2006

हेमचंद यादव
जल संसाधन मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी विधेयक, 2006 के खंड 55 के अधीन राज्य सरकार को अधिनियमों के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिये नियम बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है, जो सामान्य स्वरूप की है।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.